

13 ¹²/₂₁

पत्रावली केम... को पेश हुई।
आगामी दिनांक... को पेश हो।
(10-2-22)

2 ²/₂₂

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। बहुत
शांख 0.22 R.P पर सुनी गई। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विधिक
कारिगार को विडॉइट लिए जाने पर दोनों पक्ष सहमत हैं।
अतः प्रार्थना पत्र 0.22 R.P स्वीकार किया जाता है। वकील
वादी संशोधित अनकाण पेश को पत्रावली दि. 24/2/22 को
पेश हो।

नामू राह

24 ²/₂₂

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण स्वयं उपर
वादी द्वारा संशोधित अनकाण पेश किया जिसे
शामिल पत्रावली किया जावे। उपस्थित वादी एवं
प्रतिवादी उदा व बालू (मृतक) के कारिगार ने न्यायालय
में उपस्थित होकर नियोजन किया कि ग्राम जिन्द्रास में
साबिक आ. नं. 67-72-185 की 3 कुल खस 95/8 बीघा
भूमि भोलाजी की थी। भोलाजी की मृत्यु के बाद ये
भारतीयोंत हमारे पिता गोपी, घोगा, बालू पिता भोला
के नाम संयुक्त त्वातेदारी से दर्ज हुई। इस प्रकार गोपी,
घोगा, बालू प्रत्येक का 1/3 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबंदी
संवत् 2021 से 32 पेश है। गोपी के मरने पर नामा
सं. 165 दि. 26/8/72 में उदा पिता गोपी 1/3 दर्ज किया
पण्डु राजस्व लिफ्ट नकल जमाबंदी संवत् 2032 से 35
में उदा पिता गोपी का हिस्सा 1/3 के बजाय 1/2 दर्ज कर
दिया जो गलत है जिसे दुरुस्त करने के लिए
वर्ष 2018 में न्यायालय शीमल में समझौता पेश किया
जिसे तत्कालीन पीठासन अधिकारी जी ने दिनांक
25/6/2018 को सत्यापित कर दिया गया जो पत्रावली
में संलग्न है। आज दिनांक को भी वादी एवं
प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर समझौते अनुसार
राजस्व लिफ्ट में संशोधन किए जाने हेतु
सहमते स्वयं अपने हस्ताक्षर अंगुली निशानों
लगाई हैं।

जुवारा

कि गणदी

कि ईना

कि शकु-

कि लड

संजी

हुयम या कार्यवाही भय इनिशियल्स जाज

सारीख
हुयम

राजस्व रिपोर्ट नकल जमाबन्दी सम्वत् 2029 से
 32 से स्पष्ट है कि मोला के पुत्र गोपी, दोगा,
 बालू थे इस प्रकार पुत्रों का 43 हिस्सा दर्ज
 था परन्तु चौसाला जमाबन्दी सम्वत् 2032 से
 2035 में गोपी के पॉल होने से उसके बजाय
 दर्ज उदा पिता गोपी 42 दर्ज कर दिया जो
 दुयस्ती योग्य है परकारान चाह नं 56 व
 672 में संशोधन चाहते हैं पत्रावली में प्रस्तुत
 वर्तमान नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077
 में दर्ज चाह नं 56 व 672 उदा के पॉल होने से
 से उसके पुत्र जवारा 44 नानूराम 44 पिता उदा
 बालू पिता मोला 44 मांगू पिता बालू गोदपुत्र
 दोगा 44 दर्ज है जो गलत है कि राजस्व
 रिपोर्ट एवं समर्पित अनुसार जवारा 49 गजरी 49
 नानूराम 49 पिता उदा, बालू पिता मोला
 43 व मांगू पिता बालू गोदपुत्र दोगा 43
 गुर्जर हिस्सेनुसार राजस्व रिपोर्ट में दर्ज किया
 जाना इच्छित होगा।

इतः वादी का बाद पत्र में प्रस्तुत
 समर्पित दिनांक 25/6/18 को स्वीकार करते
 हुए शाम जिन्दास की आनं 56 गोमु चाह
 व 672 गोमु चाह में वादी मांगू उर्फ मांगी लाख
 पिता दोगा 43 जवारा 49 नानूराम 49 व
 गजरी 49 पिता उदा तथा देवा 412 रामा 412 पिता बालू
 शंभू देवी पालि मेवा 412 लाडू पालि जगू 412
 गुर्जर को संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता
 है। इसी अनुसार राजस्व रिपोर्ट में इन्दाज किया


अधिकारी

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

जावे) पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल
शुमार होकर गभट से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल मिला भीलवाड़ा